

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग- 1

संख्या- 1297 /60-1-2004-1/13(103)/03

लखनऊ : दिनांक : 20 मई, 2011

:: कार्यालय ज्ञाप ::

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम- 2000 (2006 के संशोधन अधिनियम-33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित कतिपय राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, राजकीय बाल गृह एवं राजकीय पाश्चातवर्ती देखरेख संगठन में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष संवासियों की संख्या में निरन्तर कमी अथवा अधिकता पाई गई है। अतः गृहों से प्राप्त सूचनाओं, आकस्मिक निरीक्षणों, अनुश्रवण एवं विगत 03 वर्षों में गृह में आवासित संवासियों/संवासिनियों की औसत संख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार की संस्थाओं की स्वीकृत क्षमता आवासित संवासियों/संवासिनियों की औसत संख्या के अनुसार संशोधित किया जाए। तदनुसार निम्नलिखित संस्थाओं की स्वीकृत क्षमता संशोधित की जाती है तथा शेष अन्य संस्थाओं की पूर्व निर्धारित स्वीकृत क्षमता यथावत् बनी रहेगी -

क.सं.	जनपद का नाम	पूर्व निर्धारित स्वीकृत क्षमता	संशोधित स्वीकृत क्षमता
1	2	3	4
राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर)			
1	आगरा	75	50
2	लखनऊ	75	100
3	मेरठ	50	100
राजकीय बाल गृह (बालक)			
1	लखनऊ	200	100
2	ललितपुर	100	50
3	वाराणसी	200	100
4	गाजीपुर	100	50
5	देवरिया	100	50
6	फिरोजाबाद	100	50
7	शाहजहाँपुर	100	50
8	आजमगढ़	100	50
9	मेरठ	100	50
राजकीय बाल गृह (शिशु)			
1	मथुरा	100	50
2	इलाहाबाद	100	50
राजकीय बाल गृह (बालिका)			
1	बलिया	100	50
2	इलाहाबाद	100	50

राजकीय पाश्चातवर्ती देखरेख संगठन (किशोर)			
1	शाहजहाँपुर	100	50
राजकीय पाश्चातवर्ती देखरेख संगठन (महिला)			
1	मेरठ	100	50
2	सहारनपुर	200	100

शासनादेश संख्या- 574/60-1-2004-1/13(103)/03 दिनांक 11 फरवरी, 2004 की अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत् रहेंगी। उपरोक्तानुसार यथासंशोधित स्वीकृत क्षमतानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अग्रेतर की कार्यवाही सुनिश्चित करें।


बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या 1297 (1)/60-1-2004-1/13(103)/03 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. संबंधित संस्थाध्यक्ष।
9. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,


भवनाथ
विशेष सचिव।